न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू

प्रार्थना-पत्र संख्या 71 सन् 2019

ग्राम पंचायत सिरसला आदि बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु

उपस्थितः-

श्री बजरंगलाल शर्मा, श्री पंकज कुमार शर्मा, अधीवक्ता- प्रार्थी

आदेश

1. प्रार्थना-पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखंड अधिकारी चूरू से रोही ग्राम सिरसला के खसरा नंबर 767/626 तादादी 0.6956 हैक्टेयर किस्म सिवायचक भूमि में से 2-14 बीघा भूमि ग्राम सिरसला के भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा खारिज किया गया व कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के पत्रांक प.12 (2)() राजस्व/2018/816-17 दिनांक 23.7.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी चूरू को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में तहसीलदार स्तर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करावे। उक्त आदेश को रिव्यू करने बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया है अप्रार्थी की तलबी की गई। संबंधित पत्रावली तलब की गई।
3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि ग्राम सिरसला के खसरा नंबर 767/626 में लंबे समय से प्रार्थीगण संख्या 2 से 7 निवास कर रहे है जिनके वहां पर पिछले 15-20 वर्ष से पक्के मकान बने हुए है। बिजली व पानी के कनेक्शन है। प्रार्थीगण लगातार इस भूमि पर रहवास करते आ रहें हैं, उक्त भूमि वर्तमान में सिवायचक है जो काबिल आवंटन है। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) जयपुर के पत्रांक 4 (78)सिवायचक/नियमन/ विधि/पंरा/2017/1469 जयपुर दिनांक 30.11.2017 द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित ग्राम सेवक एवं पटवारी दोनों के द्वारा ऐसी भूमि पर बने मकानों का जहां रहवास दिनांक 1.1.2017 को कम से कम 3 वर्ष या इससे अधिक अवधि से पूर्व मकान बनाकर कर रहे हैं, का संयुक्त सर्वे किया जायेगा। सर्वे के अनुसार सूची तैयार करेंगे तथा सूची के साथ उस व्यक्ति के दिनांक 1.1.2017 से पूर्व 3 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से रहने के प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल में से कोई एक दस्तावेज जिस पर मकान का पता वर्णित हो, संलग्न करेंगें। सिवायचक भूमि जहां पर मकान

जिला कलेक्टर
चूरू

बिखरे/छितरे हुए हो ऐसी सिवायचक भूमि पर कम से कम 5 मकान बने हुए हो उन्हे सर्वे में सम्मिलित किया जावे। सर्वे के बाद तहसीलदार द्वारा ऐसी भूमि पर बसे हुए लोगों के आवास गृह का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शे की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हो सहित सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर उपखंड अधिकारी को प्रेषित करेगा एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सक्षम स्तर से सेटअपार्ट करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके बाद भूमि सेटअपार्ट होने पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पालना करते हुए संबंधित रहवासियों को पट्टा जारी किया जायेगा। चुंकि प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीगण निवास कर रहें है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो प्रस्ताव प्रेषित किया गया व वह पंचायति राज विभाग के पत्र दिनांक 30.11.2019 के अनुसार है। अतः आदेश दिनांक 23.7.2019 को वापस लिया जाकर ग्राम सिरसला में आबादी विस्तार हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार करें।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 30.11.2017 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार ग्राम में सिवाचक भूमि जिस पर आबादी बसी हुई है और वहां कम से कम 5 मकान बने हुए उनका सर्वे कराया जाकर उक्त भूमियों को ग्राम पंचायत को सेटअपार्ट करने के निर्देश दिये गये है। ग्राम सिरसला की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 3500 है व वांछित आबादी हेतु 196 बीघा भूमि की आवश्यकता है। जबकि वर्तमान में 102 बीघा आबादी भूमि है। इसलिए आबादी विस्तार की आवश्यकता है।
6. उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिस भूमि का प्रस्ताव भिजवाया गया है वो भूमि सिवायचक भूमि है व उसमें पक्के मकान बनाकर लोग निवास कर रहें है। कार्यालय स्तर से दिनांक 23.7.2017 को पारित आदेश के दौरान पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 30.11.2017 का अवलोकन नही किया गया है। जिसके कारण गलत आदेश पारित किया हो गया है। जिसे वापस लिया जाना उचित है।
7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के पत्रांक प.12 (2)()राजस्व/2018/816-17 दिनांक 23.7.2019 को वापस लिया जाता है व तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23.7.2019 के पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार अधिनियम 1956 की धारा 91 में की गई कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रोप किया जावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। राजस्व शाखा की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के वापस प्रेषित की जाये।
8. निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर, चूरू